

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम जगमाल हरीराम पि० खिराज जाति जॉगिड साकिन खरसण्डी वगै० किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं० 023 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15/3/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण सं० 1 जगमाल हरीराम पि० खिराज जाति जॉगिड साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 मेहरचंद पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.253 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 3 प्रहलाद पुत्र लालचंद जाति नाई साकिन खरसण्डी के खसरा न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/3/2021 को पेश हो।</p>	
24/3/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थीगण की अपील ग्राह्य नोटिस काट लाहिल प्राप्त की जाहिल पत्रावली किया गया। ECR द्वारा डूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं। रिपोर्ट के संदर्भ में पत्रावली दिनांक 31/03/21 को पेश की गई।</p>	
31/03/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। ECR द्वारा डूरी रिपोर्ट प्राप्त की जाहिल पत्रावली की गई। ECR की खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण हेतु अलग से अधिसूचना जारी किया जाकर पत्रावली रिपोर्ट पेश की गई पत्रावली पेश की गई।</p>	

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 03

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

जगमाल हरीराम पि० खिरांज जाति जॉंगिड साकिन खरसण्डी वगै० साकिन दलपतपुरा

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 जगमाल हरीराम पि० खिराज जाति जॉंगिड साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 मेहरचंद पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.253 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 3 प्रहलाद पुत्र लालचंद जाति नाई साकिन खरसण्डी के खसरा न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 50 /- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

22.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं० 1 जगमाल हरीराम पि० खिराज जाति जॉंगिड साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 मेहरचंद पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.253 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 3 प्रहलाद पुत्र लालचंद जाति नाई साकिन खरसण्डी के खसरा न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि...50...रु० से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को आदेश दिये जाते हैं कि वे कुर्क शुद्ध खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ

क्रमांक/राजस्व/2021/1131

दिनांक: 22.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थी सं० 1 जगमाल हरीराम पि० खिराज जाति जॉगिड साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 मेहरचंद पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.253 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 3 प्रहलाद पुत्र लालचंद जाति नाई साकिन खरसण्डी के खसरा न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 5000 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1132-34

दिनांक:- 22.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर



रिपोर्ट
24/10/21

24/10/21

दि. नं. 03/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/21 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश कमांक 980

दिनांक 8.10.21 की पालना में ग्राम खरखंडी के खसरा नं. 124 की श्री. पु. रावत

भूमि में फसल 0.442 ई. नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① जगमाल हरीराम पिठवार

खिराज जाति जाकिरुल्ला खरखंडी, ② मेहरनन्द पुत्र सहीराम जाति जाट सा. खरखंडी ③ पुद्दाल पुत्र लालचन्द जाति नाई सा. खरखंडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क. स.	बोलीदाता	बोली की राशी	
		I	II
1.	श्री हरदयाल पुत्र श्री हरीराम जाति जाट साकिन खरखंडी	300	600
2.	श्री छोडुराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन खरखंडी	360	670
3.	श्री देवीलाल पुत्र श्री कादुराम जाति नाई साकिन खरखंडी	420	
4.	श्री राजेन्द्र साद पुत्र श्री मनफूल जाति मेखवाल साकिन खरखंडी	500	

उपरोक्त में श्री छोडुराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन खरखंडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

 देवीलाल

रजेश कुमार
देवशम

Omj
21/10/2021
राजश्व पखारी
प.स. लखानिया

स्वीकृत
307
25/10/21

म.स. 21/10/21
भू.स. नि. जवराम
21-10-2021